न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–XIII, वैशाली, हाजीपुर।
सत्र वाद सं0–224/2021
बिदुपुर थाना कांड सं0–118/2014

1. धर्मनाथ सिंह उर्फ धर्मा पिता रामा सिंह,
ग्राम–मथुरा, थाना–बिदुपुर, जिला–वैशाली।

11.04.2023

कारांधीन आवेदक अभियुक्त **धर्मनाथ सिंह उर्फ धर्मा** की ओर से दिनांक–15.07.2021 को दाखिल जमानत आवेदन चालित किया गया। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान की गयी है। जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक ने पूर्व में मुख्य न्या0दण्डा0, वैशाली के यहॉ दिनांक–05.08.2019 को जमानत आवेदन दाखिल किया था जो खारिज हुआ। उसके पश्चात् आवेदक ने कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। आवेदक निर्दोष है तथा उसने प्राथमिकी में लगाये गये आरोप जैसा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को इस केस में दुश्मनी के कारण सुमित कुमार के बयान के आधार पर झूठा फसाया गया है। अभियोजन केस पूर्णतः गलत, झूठा एवं आधारहीन है। आवेदक के खास कब्जे से कोई आग्नेयास्त्र बरामद नहीं किया गया है। आवेदक को दिनांक–15.03.2019 को इस केस में रिमाण्ड किया गया है। अतः निवेदन किया गया है कि आवेदक को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते है।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक पर आरोप है कि पु0अ0नि0, शैलेश्वर प्रसाद को संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली की बिदुपुर बाजार में कुछ लड़के एकत्रित होकर अपराध की योजना बना रहे है और किसी धटना को अंजाम देने वाले है। सूचना के आधार पर सूचक सशस्त्र बल के साथ बिदुपुर बाजार पहुॅचे तो पुलिस जीप को देखकर 5–7 की संख्या में लड़के भागने लगे जिसमे से एक को पकड़ा गया जिसने अपना नाम सुमित कुमार बताया जिसकी तलाशी लेने पर उसके कमर से एक देशी पिस्तौल तथा एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ तथा भागने वाले साथियों में अन्य के साथ आवेदक धर्मनाथ सिंह उर्फ धर्मा का नाम बताया। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त को दिनांक–15.03.2019 को बिदुपुर थाना कांड सं0–313/2014 से इस कांड में रिमाण्ड किया गया है। तब से आवेदक न्यायिक अभिरक्षा में है। सह अभियुक्त सुमित कुमार जिसे घटनास्थल से गिरफ्तार किया

Web copy not Official

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–XIII, वैशाली, हाजीपुर।
सत्र वाद सं0–224/2021
बिदुपुर थाना कांड सं0–118/2014

लगाातार 11.04.2023	गया था और जिसके पास से एक देशी पिस्तौल एवं एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ था तथा उसी के द्वारा नाम बताये जाने पर आवेदक अभियुक्त को इस कांड में अभियुक्त बनाया गया है। उक्त सह अभियुक्त सुमित कुमार को छः माह की कारा में रहने के पश्चात् क्रिमिनल मिस0 नं0–42562/2014 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की गयी है। आवेदक अभियुक्त का 9 कांडों में नाम दर्ज रहने का आपराधिक इतिहास मूल कांड दैनिकी के पैरा–90 में अंकित है। आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है तथा आरोप का गठन किया जा चुका है और अभिलेख साक्ष्य हेतु चला आ रहा है। आवेदक अभियुक्त दिनांक–15.03.2019 लगभग चार वर्ष एक माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्त को 10000/– रूपये के समान राशि दो प्रतिभूओं के जमानत बंध पत्र दाखिल करने जमानत पर रिहा करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **1. जमानतदारों में से एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होगा तथा 2. आवेदक अभियुक्त मुकदमें के निष्पादन तक प्रत्येक तिथि पर सदेह उपस्थित रहेंगे।** **लेखापित,** **अपर सत्र न्यायाधीश–XIII,** **वैशाली, हाजीपुर।**	क्रमशः

Web Copy not Official